

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश सहारण RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्या:-22/23 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के, (1264)

राजस्थान सरकार जरिये कंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर प्राथी

बनाम

श्री पुरषोत्तम दास पुत्र श्री मोतीराम सिन्धी खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स भवानी होटल का
कारखाना, बार्ड नं. 13 भगतसिंह नगर, 24 एएससी, घड़साना, अनूपगढ़

अप्राथी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) ii / 51 FSSA Act 2006

निर्णय

दिनांक:- 12-11-24

यह इस्तगसा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की धारा 51 एफ, एस, एस, ए 2006 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगसा में बर्णित तथ्य इस प्रकार हैं:- यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 31.10.2021 को दोपहर 02:00 बजे बजे पर निरीक्षणार्थ मैसर्स- भवानी होटल का कारखाना, बार्ड नं. 13 भगतसिंह नगर, 24 एएससी, घड़साना, अनूपगढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुरषोत्तम दास पुत्र श्री मोतीराम सिन्धी खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स भवानी होटल का कारखाना संस्थान पर मालिक पुरषोत्तम दास पुत्र श्री मोतीराम सिन्धी खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स भवानी होटल का कारखाना कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा पत्र कौंके पर नही दिखाया। केवल मौखिक रूप से आवेदन करना बताया।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में लगभग 15 किलो कलाकंद मिठाई जो दूध चीनी वनस्पति व मूंगफली दानों से निर्मित खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय हेतु रखा था। इसी कलाकंद मिठाई की शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नं0 5 ए भरकर प्रति नमुना सूचनार्थ दी गई गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दो किलो कलाकंद मिठाई ली। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा कलाकंद मिठाई, का नगद भुगतान 500 रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है एवं सिरीयल नम्बर के-1264 दर्ज किया। प्रत्येक जार में फॉर्मेलिन की 40 बूंदें डाली गई और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डिओ गंगानगर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप के-1264 नियमानुसार चारो नमुनो पर निचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमुना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बंधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सिल से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोने पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के- 1264 कलाकंद मिठाई लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमुना भागो को अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सिल लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की आउटर कवर में सील बंद कर सिल मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन श्रीगंगानगर के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सिल बंद नमुना भाग में फॉर्म नं0 6 की दो प्रतिया के आउटर कवर में सिल बंद कर तथा नमुने का चौथा भाग डीओ मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को मेरे स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2021/189 दिनांक 07.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोग शाला राजस्थान बीकानेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट क्रमांक L.S.504/Act/2021/517 दिनांक 29.11.2021 अनुसार उक्त नमुना Sub Standard Food पाया गया। खाद्य विश्लेशक बीकानेर की जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजस्थान




करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक 1410-11 05.10.2023 के द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमून के प्रकरणों की अभियोजन रागय सीमा बढ़ाने एवं माननीय न्यायालय में केस लगान की रवीकृति प्रदान हेतु आवेदन किया है।

श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता/खा.सु.ओ. नि./स.सी./2023/3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन रवीकृति पत्र क्रमांक 1410-11 दिनांक 05.10.2023 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी द्वारा कलाकंद मिठाई का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (1) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) ii 52 FSSA Act 2006

श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही गिलावट पर अकुश लग सके।

गैरसायल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि परिवाद पत्र की मद संख्या 1 रवीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 2 रवीकार है। परिवाद पत्र की मद सं. 3 रवीकार है। परिवाद पत्र की मद सं. 4 अरवीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 5 अरवीकार है। परिवाद पत्र की मद सं. 6 अरवीकार है। परिवाद पत्र की मद सं. 7 अरवीकार है। परिवाद पत्र की मद संख्या 8 अरवीकार है। परिवाद पत्र मद सं. 9 अरवीकार है। परिवाद पत्र मद सं. 10 अरवीकार है। परिवाद पत्र मद सं. 11 अरवीकार है। परिवाद पत्र मद सं. 12 अरवीकार है। परिवाद पत्र मद सं. 13 अरवीकार है।

खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज सभी आरोपो को निराधार बताया, एवं निवेदन किया कि खाद्य विशलेशक की रिपोर्ट में विश्लेषण रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अंकित माप दण्ड अनुसार कलाकंद मिठाई अमानक पाया गया है। तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो ऐसा कोई हानिकारक मिश्रण कलाकंद मिठाई में होना खाद्य विश्लेषक अथवा खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज नहीं किया गया है। बहस गैरसायल प्रार्थी प्रस्तुत जवाब तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक प्रयोग शाला बीकानेर दिनांक 29.11.2021 में कलाकंद मिठाई एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उलंघन करते हुए नमुना 1264 Sub Standard food पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26(2)52 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्य नजर गैरसायलफर्म श्री पुरषोत्तम दास पुत्र श्री मोतीराम सिन्धी खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स भवानी होटल का कारखाना, वार्ड नं. 13 गगतसिंह नगर, 24 एससी, घड़साना, अनूपगढ. रू 25000/- रुपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला भुमार होकर दाखिल दपतर की जावे। निर्णय आज दिनांक 12-8-24 को सुनाया गया।


(ओमप्रकाश सहारण)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ